बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग--२ कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

शनिवार, तिथि ५ जुलाई, १९८०।

विषय-सूची।

	पृष्ठ
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :	
गया की पहाड़ियों में अवैध फिस्फोट एवं खनिकर्म ..	१—५
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उस पर सरकारी वक्तव्य :	
दरभंगा जिले के गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत नहीं मिलना। ..	५—८
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :	
माननीय सदस्य श्री रामनरेश सिंह की हत्या के प्रयास की उच्च स्तरीय जांच के सम्बन्ध में। ..	८
शून्य काल की चर्चाएं :	
भूतपूर्व विधायक श्री सूर्यदेव त्यागी द्वारा अनशन ..	९
फारबिसगंज के सहायक विद्युत अभियन्ता की गिरफ्तारी ..	९
पलामू जिले में राहत की मांग	१०
पटनासिटी स्थित गांधी सरोवर में एक लड़की की लाश मिलने के सम्बन्ध में। ..	१०
१९८०-८१ वर्ष के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद। (क्रमशः) ..	११—६१
निवेदन	६२
दैनिक निबन्ध	६३-६४

टिप्पणी :--किन्हीं माननीय मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है।

१७३।५३ एल० ए०

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

शनिवार, तिथि ५ जुलाई, १९८० ई० ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शनिवार, तिथि ५ जुलाई, १९८० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री राधानन्दन झा के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य

गया की पहाड़ियों पर अवैध विस्फोट एंव खनिकार्य

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, ध्याकर्षण सूचना में गया स्थिति तीन पहाड़ियों तथा राम शिला, प्रेतशिला एवं ब्रह्मयोनि का उल्लेख आया है ।

२–जहां तक रामशिला पहाड़ी का संबंध है, यह सूचना प्राप्त हुई है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रामशिला पहाड़ी क्षेत्र में खनिकर्म बन्द है। स्टोन क्रशर मालिकों ने यह दावा किया है ति उनका क्रशर रामशिला पहाड़ी क्षेत्र से बाहर अन्य जमीन में स्थापित है तथा वहां से क्रशर हटाने के लिए पटना उच्च न्यायालय में कोई आदेश नहीं दिया है । उन्होंने यह भी दावा किया है कि उक्त जमीन से क्रशर नहीं हटाने के कारण बिहार लघु खडनज समुनदान नियमावली १९७२ के अन्तर्गत सारे सर्त्त के अनुसार क्रशर के मालिकों को नोटिश देकर क्रशरों को हटाना संभव नहीं है । ये क्रशर मालिक अन्य स्थानों से पत्थर लाकर मशीन चलाते हैं ।

३–जहां तक प्रेतशिला एवं ब्रह्मयोनि पहाडियो का संबंध है, इन दोनों पहाड़ियों के संबंध में पट्ठाधारी एवं अन्यान्य व्यक्तयों के बीच गया के मुन्सिफ नं० २ की अदालत में टाईटल सूट जारी है, मुन्सिफ ने इन दोनों पहाड़ियो पर खनिकर्म बन्द करने के लिए लिए निषधाज्ञा दिनांक २८ सितम्बर १९७७ को जारी कर दीजो इस प्रकार है:—

I allow to the defendent as prayed for but order that in the meantime no quarrying and blast operation will be done one any portion of the Pretshila and Brahmyoni Hills. Put up on 17th Oct, 1977 filling showcauee and written statement.

किन्तु जिला सत्र न्यायाधीश ने इस आदेश में निम्नांकित संशोधन किया :—

"On the considration of all these. the operation of the impugned order is stayed except over the part of the Hills where Pinddas are performed by the Hindus till the final hearing regarding injunction"

अभी सहायक खनन पदाधिकारी, गया ने यह सूचना दी है कि जिन मुकदमों (अपील) में जिला न्यायाधीश द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया था उन्हें खारीज कर दिया गया है एवं अंतरिम निषेधाज्ञा संबंधी मामला १५ दिनों के अन्दर निबटाने का आदेश दिया मुन्सिफ नं०- २ गया के न्यायालय में अब यह मामला दिनांक ४ अक्तूबर १९८० को सुनवाई हेतु निर्धारित है। इसके पूर्व दिनांक १७ अक्तूबर, १९७७ को मुन्सिफ नं०२ गया ने निषेधाज्ञा के प्रश्न पर सभी पक्षों के सुनने के पश्चात निम्नांकित आदेश दिया था।

"Thus it is quite clear that matters are pending before the district judge and also be fore the Honble High court. the records havealso been called for and I have orderd for its compliance also which could not be done on far. Hence, I do not want to decide the question of adinuterim injunction till dicision of the suit, Hence I fix 21st Nov. 1977 waiting order of the Apellete court where 18th Nov 1977 is fixed. In the meantime parties are directed to maintain statusquo.

४—मुन्सिफ द्वारा दी गयी निषेधाज्ञा के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, गया ने दिनांक २४ अक्तुबर १९७८ को निम्नांकित आदेश संबंधी पट्टे धारियों को दिया था:—

"they (the querry ownner's)must observe the stay order granted by the competent court, otherwise they would face legtl action under the relevant provisions of the law. the querry and blasting opration which is going on should be fourthwith stuope until the learned munsif definea the area in precise term regarding

the effative operation of the stay order granted by him to the petitioner as well as to the lessees and the quarry owners to move the learned munsif to obtain the necessary bearifications and after that the party may move this court for necessary amendments in this order.

With this observation the application is disposed off.

उक्त आदेश के आधार पर उपरोक्त अपील खारिज हो जाने के बाद सहायक खनन पदाधिकारी गया ने दिनांक २५ मार्च १९८० को पट्टेधारीयों को नोटिस दी जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होगा कि यह मामला न्यायालय विचाराधीन है फिर भी सरकार का प्रयास है कि यथा शीघ्र इन पहाड़ियों का क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाय जिसमें ऐसा झंझट भविष्य में उत्पन्न न हो और अभी जो मामले हैं उसे आसानी से निवटावें। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के गया के इन दोनों पहाड़ियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सीमाकंन करने के लिए अनुरोध किया गया है। एवं पूर्व में तत्तकाली प्रधान मंत्री के बीच पत्राचार भी हुआ था खान आयुक्त ने आयुक्त, पटना प्रमंडल एवं समहर्त्ता, गया के साथ इस संबंध में स्थल निरीक्षण एवं विचार-विमर्श हेतु दिनांक २१ मई १९८० निर्धारित किया था परन्तु खान आयुक्त की बदली हो जाने के कारण यह संभव नहीं नीं हो तो सका। फिर भी सरकार प्रयत्नशील है कि पुरात्तव विभाग से मिलकर एवं चूंकि न्यायालय में मामला लंबित है इसलिये विधि विभाग से राय लेकर इन पहाड़ियों का सीमाकंन करा लिया जाय तथा संशोधित अधिसूचना जारी कर दी जाय।

यह स्पष्ट है कि यह विवाद मुख्यतः इस कारण है कि प्रेतशिला और ब्रह्मयोनि पहाड़ियों का सरहद या परिभाषा कही भी निश्चित नहीं की गयी है।

राज्य सरकार की अधि सूचना संख्या बी०/एम०-१८-२०/७०-९०५७/एम० दिनांक २८ दिसम्बर १९७० एवं बी० /एम"१८-६८/७४-३५४३/एम० दिनांक ८ जून १९७४ जिनके द्वारा इन पहाड़ियों का सुरक्षित स्थान घोषित किया गया और अधिसूचना में कोई नक्सा नहीं दिया गया जिससे यह निश्चित हो कि सर जमीन का कौन सा स्थल सुरक्षित माना जाय। मुंसिफ २ के आदेश मे जहां निषेधाज्ञा पारित की गयी उसमें भी इन पहाड़ियों के सरजमीन का विवरण नहीं दिया गया और यही सवाल न्यायालय में विचाराधीन है।

(हमको अफसोस है कि साधारण बात भी श्री कर्पूरी ठाकुर जी समझ नहीं पा रहे हैं जबकि पूरी बात समझे हुए हैं।)

पट्टाधारियों के पास अभी इन पहाड़ियों के ईर्द-गिर्द में पट्टा है और यह कहने का कोई निश्चित आधार नहीं है कि जहां वे खनिकर्म कर रहे हैं वह अधिसूचना के अनुसार सुरक्षित स्थान है या नहीं और निषेधाज्ञा उस स्थल पर बलवत है या नहीं। अतः यह कहना मुश्किल हो रहा है कि अगर इन पहाड़ियों में कोई खनिकर्म हो भी रहा हो तो वह अवैध है या नहीं। आवश्यक यही है कि सुरक्षित स्थान पर सरहद नक्शा द्वारा निश्चित कर दिया जाय और उसके अन्दर खनिकर्म रोक दिया जाय।

श्री जीतन राम मांझी—यह सर्व विदित है कि गया एक एतिहासिक नगरी है और धार्मिक जगह जो महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का स्थगन प्रस्ताव आया है तो पुरातत्व संबंधी जो नीति है उसको बचाने में सरकार क्या कर रही है?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—आपकी मंशा मैं समझ रहा हूं। मुंसिफ नं०-२ के सामने आपका मामला पेश है, उस आधार पर परिसीमा तय नहीं हुई है। श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बातें मुख्य मंत्री की हैसियत से लिखी थी कि उसकी सीमा निर्धारित पुरातत्व विभाग गवर्नमेंट आफ इंडिया तय कर दे। श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने जो लिखा था उसी आधार पर प्रधान मंत्री को भी एक पत्र लिखा है कि इसकी परिसीमा फिक्स कर दी जाय। कोर्ट का आदेश उल्लंघन करना उचित नहीं है। जैसा श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने लिखा था और इस सरकार ने लिखा है उस परिस्थिति में कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा। कैस सीमा निर्धारित करेगा यह सूचना है। श्री कर्पूरी ठाकुर जी के समय में यह बात थी कि कसर हटाने के लिए लिखा जाय और जब परिसीमा निर्धारित कर दी जाय तभी यह होगा और जब पुरातत्व विभाग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परिसीमा निर्धारित नहीं करना है तबतक हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—यह नियम बना दिया जाय कि जिनका दांत टूट गया हो और जिनकी बोली साफ नहीं निकले उनको कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाया जाय।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—जो दांत से काटते हो उन्हीं को बनाया जाय।

श्री जनादन तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ग्रौफ ग्रार्डर है। मैं माननीय सदस्य के ही पक्ष में बोल रहा हूं। जब १९७३ में यह सवाल ग्रसेम्ली में उठा था तो यह मामला जब कमिटी को रेफर हुग्रा था ग्रौर श्री नागेन्द्र झा जी उसके चैयरमैन थे ग्रौर उस सब कमिटी ने रिपोर्ट दी थी कि वह जो पहाड़ी है, हिन्दू सैन्टीमैंट की जगह है इसलिये वहां से पत्थर नहीं काटा जाना चाहिये। लेकिन इसके बावजूद वहां से पत्थर काटा जा रहा है।

ग्रध्यक्ष—ग्राप समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

ग्रत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उस पर सरकारी वक्तव्य

दरभंगा जिला के गन्ना उत्पादकों का गन्ने की कीमत नहीं मिलना

श्री परमानन्द झा—ग्रध्यक्ष महोदय, पुराने दरभंगा जिला के हजारों गन्ना उत्पादक किसानों में हाहाकार मचा हुग्रा है ग्रौर उनके कृषि कार्य एवं ग्रन्य कार्य ठप पड़े हुए हैं। क्योंकि सकरी, रैयाम, लोहट, समस्तीपुर, हसनपुर ग्रादि चीनी मिलों ने ग्राजतक किसानों की गन्ने की कीमत का भुगतान नहीं किया है। इन मिलों के यहां लगभग ७० लाख से ग्रधिक रूपये किसानों के बाकी पड़े हुए हैं। बार बार प्रयत्न करने पर भी चीनी मिल के प्रबन्धकों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थिति भयंकर है ग्रौर किसी भी समय वे ग्रपनी जीविका एवं बकाये भुगतान के लिये गंभीर रूप से ग्रान्दोलन कर सकते हैं। ग्रतः मैं सरकार का ध्यान ग्राकृष्ट करता हूं कि वह किसानों के बकाये के भुगतान के लिये शीघ्र व्यवस्था करे।